संलग्नक- ड़

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1148] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2003/पौष 3, 1925
No. 1148] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2003/PAUSA 3, 1925

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1463(अ).—जहाँ पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिनका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली (अब से "पावरग्रिड" नाम से संदर्भित) है, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है और विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अंतरराज्यीय पारेषण कार्य के लिए लाइसेंसी है।

और, जहाँ पावरग्रिड द्वारा अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के जरिए पारेषण प्रणाली स्थापित करना तथा विद्युत पारेषण का कार्य करना अपेक्षित है।

और, जहाँ विद्युत पारेषण या कार्यों के समुचित समन्वयन के लिए आवश्यक दूरभाषीय या तार संबंधी सम्प्रेषण के उद्देश्य से किसी अचल संपत्ति में या पर पोस्ट के नीचे, ऊपर, पास में या इसके पार विद्युत तार या विद्युत संयंत्र स्थापित करने और इनका अनुरक्षण करने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 8) के भाग-3 के अंतर्गत तार लाइनों को बिछाने या स्थापित अथवा अनुरक्षित पोस्ट या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित तार लाइनों एवं पोस्टों के संबंध में पावरग्रिड को शक्तियाँ प्रदान करने एवं पावरग्रिड द्वारा इनका प्रयोग किया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पावरग्रिड को एतद्द्वारा विद्युत पारेषण के लिए तथा कार्यों के समुचित समन्वयन के लिए आवश्यक दूरभाषीय या तार संबंधी सम्प्रेषण के उद्देश्य से बिछाई गयी या अनुरक्षित अथवा बिछाई जाने या अनुरक्षित की जाने वाली विद्युत लाइनों एवं विद्युत संयंत्र के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग-3 के अंतर्गत तार प्राधिकरण को प्रदत्त एवं इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

पावरग्रिड को उपर्युक्त शक्ति का प्रत्यायोजन इसके द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन करने की शर्त पर दिया गया है।

[सं. 23/73/2003-आर एंड आर]

अजय शंकर, संयुक्त सचिव

एल. के. शर्मा
उप महाप्रबंधक
पावरग्रिड, पू. क्षे.-I, वाराणसी